

रजिस्ट्रेशन संख्या :- R.N.I. 36355/79

डाक पंजीकरण संख्या :- के० पी० सिटी -67/2024-26

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गजट पढ़ने हेतु [log in करें www.behm.org.in](http://log.in करें www.behm.org.in)

चिकित्सा-विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

पत्र व्यवहार हेतु पता :-

सम्पादक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गजट

127/204 'एस' जूही, कानपुर-208014

सम्पर्क सूत्र :- 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गजट

वर्ष - 47 • अंक - 12 एवं 13 • कानपुर 1 से 15 जुलाई 2025 • प्रधान सम्पादक - डा० एम० एच० इंदरीसी • वार्षिक मूल्य ₹ 100

हर जगह योग का बोलबाला

आंतर्राष्ट्रीय योग एवं

विजया दिवस

एक साथ मनाया गया

माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक को दिया ज्ञापन

बिना समुचित अधिकार के कार्य करने में कभी भी आनन्द की प्राप्ति नहीं होती है और न ही वह कार्य पूर्ण गति प्राप्त कर सकता है जब तक उस कार्य में अपना अधिकार नहीं जुड़ा होता है अधिकार पूर्वक कार्य करने से व्यक्ति की प्रतिभा में स्वतः विस्तार होने लगता है और वह व्यक्ति पूरे मनोयोग के साथ कार्य भी करता है।

प्रदेश का इलेक्ट्रो होम्योपैथ पूरे उत्साह के साथ कार्य नहीं कर पा रहा है इसके पीछे एक मात्र कारण यह है कि शायद हमारे चिकित्सक अपने अधिकारों से परिचित नहीं हैं और जो परिचित हैं भी उन्हें कर्तव्य बोध नहीं है इस गम्भीर बात पर बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उत्तर प्रदेश ने सघन चिन्तन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निश्चित तौर पर हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अपने अधिकारों से परिचित नहीं है।

यह सत्य है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथों को चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए क्रमशः वर्ष 2011 व 2012 में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से आदेश प्राप्त हो चुका है, इन आदेशों का बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उत्तर प्रदेश और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने

समुचित प्रसार व प्रचार किया, प्रचार के जितने भी माध्यम हैं उन सभी का प्रयोग करते हुए पूरा प्रयास किया गया कि अधिक से अधिक लोगों को इस आदेश की जानकारी हो ताकि वे अपने अधिकारों से वंचित न रह सकें।

हमारा यह प्रयास सफल तो हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिये

था इसका परिणाम यह हुआ कि प्रदेश का इलेक्ट्रो होम्योपैथ अनिश्चय की स्थिति से गुजरता रहा और अपने आप को किसी एक जगह स्थिर नहीं कर पाया, ज्यों-ज्यों समय बीतता गया बोर्ड की चिन्ता बढ़ती गयी।

इसी चिन्ता को समाप्त करने के लिए बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० की प्रबन्ध समिति ने इस

विषय पर गम्भीर विचार विमर्श किया, तदोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पूरे प्रदेश में एक ऐसा अभियान चलाया जाये जिससे कि हमारे चिकित्सकों को सीधे- सीधे जोड़ा जा सके उनसे सीधे संवाद स्थापित किया जा सके।

इन सारे विषयों पर गम्भीर चिन्तन के बाद बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक

मेडिसिन, उ०प्र० ने एक ऐसे अभियान की संरचना की कि प्रदेश के हर सांसद, विधायक, मंत्री को बोर्ड की 50 वर्षों की उपलब्धि के साथ-साथ अबतक जो भी आदेश/शासनादेश केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० को दिये हैं उन सभी को माननीय सांसद/ विधायक, मंत्री जी को उपलब्ध कराकर उनसे अनुरोध किया जाये कि वे अपने स्तर से प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय आदित्य नाथ योगी को इस आशय का पत्र लिखें कि देश की कई प्रदेश सरकारों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास हेतु महत्व प्रमुखता से दिया है यहां तक कि राजस्थान सरकार ने तो सरकारी बोर्ड का गठन भी कर दिया है व इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसा ही कार्य करने का विचार कर रही है, वास्तव में इन सरकारों की भूमिका सराहनीय है, विदित हो कि उ०प्र० राज्य देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ०प्र० के लिये शासनादेश जारी कर आगे का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, अब यदि प्रदेश में सरकारी बोर्ड का गठन प्रदेश सरकार कर देती है तो सारी समस्याएँ एक साथ समाप्त हो जायेंगी।



माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक को ज्ञापन देते हुये डा० आशुतोष कपूर, एम. एम. डा० गौरव द्विवेदी एवं एम. एम. डा० नरेन्द्र भूषण निगम

आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में सर्जिकल स्ट्राइक की

सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसा शब्द है जो हर छोटे बड़े शिक्षित व अशिक्षित की ज़बान पर पूरे देश में आजकल चढ़ा हुआ है, पहले दिन जब इस शब्द का प्रयोग हुआ था तब सम्भवतः इस शब्द के अर्थ बहुत कम लोग जानते होंगे लेकिन जब इस सर्जिकल स्ट्राइक के परिणाम लोगों के सामने आये तो सभी लोग या तो इस शब्द से परिचित हो गये या फिर परिचित होने का प्रयास किया और इसका शाब्दिक अर्थ भी निकाल लिया।



इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सन्दर्भ में भी इस तरह के आपरेणों की आजकल आवश्यकता महसूस की जा रही है क्योंकि जब अराजकता चरम पर पहुँच जाये तो उसका नियन्त्रित होना बहुत आवश्यक होता है अन्यथा स्थिति विस्फोटक हो जाती है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने के लिए विभिन्न लोगों या संगठनों द्वारा जिस तरह के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं कदाचित इन कार्यक्रमों के दूरगामी परिणाम शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं, कोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह के विचार हम सबके सामने आ रहे हैं वह सोचने पर विवश कर देते हैं कि आखिर इन लोगों की इच्छा क्या है? परस्पर प्रतिद्वन्दता इस स्तर तक बढ़ गयी है कि मर्यादायें तार-तार होने लगी हैं, छोटे-बड़े की बात तो छोड़ दीजिए यह विचार एक परिवार के होने का भी संकेत नहीं दे पाते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक परिवार है और इसमें कार्य करने वाला हर व्यक्ति एक परिवारिक सदस्य है और सदस्य की यह इच्छा भी होती है कि जिस परिवार से वह जुड़ा है उस परिवार का मान सम्मान बढ़े, धन यश व कीर्ति की वृद्धि हो, इसलिए हर सदस्य अपनी तरफ से यह प्रयास करता है कि वह कोई ऐसा काम न करे जिससे कि परिवार की छवि खराब हो और जिसका प्रभाव समाज पर गलत पड़े।

वर्तमान परिस्थितियों को देखकर तो ऐसा लगता है कि ऊपर लिखी हुई सारी बातें या तो किताबी बची हैं या फिर मंचों पर दूसरों को शिक्षा देने के लिए, परस्पर विद्वेष ने कटुता का रूप ले लिया है, यदि कटुता से समाज का उत्थान होता हो तो ऐसी कटुता भी बुरी नहीं होती है लेकिन जो कटुता स्वयं व समाज के लिए हानिकारक हो तो ऐसी कटुता का जन्म होना ही गलत है, यद्यपि कटुता बैर भाव का परिचायक होती है और बैर भाव से किया हुआ कार्य कभी भी मंगलकारी नहीं होता।

आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये बहुत अनुकूल समय चल रहा है इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े हर जिम्मेदार व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि समय की नब्ज को पहचाने और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए जो उचित कदम हो वह उठाये इस बात का निर्णय भी उसे ही करना होगा कि कौन सा कदम आगे की ओर ले जाता है और कौन सा कदम पद्धति को मीलों पीछे ढकेलता है! यदि यह कठिन निर्णय लेने में हमारे साथी स्वयं को सक्षम नहीं पाते हैं तो उन्हें शान्त हो जाना चाहिये, यद्यपि यह सम्भव नहीं है कि जो व्यक्ति वर्षों तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी आन्दोलन से जुड़ा रहा हो वह शान्त होकर बैठ जाये, यह सत्य है कि मनोदशाओं में आसानी से परिवर्तन नहीं होता है, यदि व्यक्ति ठान ले तो कोई भी कार्य मुशकिल भी नहीं होता है अभी भी गेंद इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पक्ष में है सरकारी आदेश और सरकारी अधिकारियों का रुख इलेक्ट्रो होम्योपैथी के समर्थन में ही दिखायी पड़ता है अतः अवसर का लाभ उठाते हुए हम सब मिलकर एक ऐसा वातावरण निर्मित करें जो पैथी हिताय के साथ-साथ सर्वजन हिताय भी हो।

चूँकि चिकित्सा पद्धति किसी एक व्यक्ति की नहीं है इसका उपयोग और उपभोग समाज का हर व्यक्ति कर सकता है जो इस सत्यता को स्वीकार करे और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए कार्य करे वही इसका वास्तविक हकदार है।

प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की आड़ में अनेक संगठन अपने हित के लिये ऐसे अवैध कार्यों में लिप्त हैं जो न तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये और न ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये हितकारी हैं वे ऐसे लोग हैं जो शेर की खाल में लोमड़ी वाली कहावत चरितार्थ करते हैं ऐसे संगठनों का बहिष्कार होने के साथ-साथ सरकारी सर्जिकल स्ट्राइक की भी आवश्यकता है चूँकि ऐसे लोग न तो कभी आपके हितकारी रहे हैं और न ही कभी हितकारी हो सकते हैं वे अपने फायदे के लिये कभी भी कहीं भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को धोखा दे सकते हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से सरकारी संरक्षण देने की मांगे उठने लगी है

भारत वर्ष में पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों की श्रेणी में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, योगा, नेचुरोपैथी व सोवा-रिम्पा आदि हैं, जबकि होम्योपैथी एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धतियाँ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की श्रेणी में आती हैं, चूँकि भारत वर्ष में चिकित्सा पद्धतियों की शासकीय मान्यता की व्यवस्था है, इस देश में वही चिकित्सक अधिकृत माना जाता है जो मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की श्रेणी में आता है, वैसे तो भारत में कुछ अन्य पद्धतियाँ व थैरेपियाँ भी उपयोग में लायी जाती हैं जैसे टच थैरेपी, स्टोन थैरेपी, बैच फलावर थैरेपी आदि परन्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथी अधिकारिक चिकित्सा पद्धतियों की श्रेणी में आती है, इस अधिकारिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की श्रेणी में लाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के एजेण्डे में शामिल हर देश अपने यहाँ प्रचलित होने वाली चिकित्सा पद्धतियों का विकास करे और जिस राष्ट्र में जो कानून हो उस कानून के आधार पर उन पद्धतियों को भी संरक्षण प्रदान किया जाये, जो जनता के स्वास्थ्य लाभ में

महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन कर रहे हैं, भारत सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एजेण्डे पर ही कार्य कर रही है, भारत सरकार द्वारा जारी 28 फरवरी, 2017 का पत्र उसी की एक बानगी है। चीन के बाद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत है जहाँ लगभग एक सौ पच्चीस करोड़ से भी अधिक भारतीय निवास करते हैं, इस देश में जन स्वास्थ्य के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रायोजित बहुत सारे कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, पोलियो, टीकाकरण आदि इसी अभियान का एक हिस्सा है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी भारत वर्ष में पिछले करीब डेढ़ सौ वर्षों से कार्य कर रही है लगभग पच्चीस लाख से अधिक चिकित्सक पूरे देश में इस चिकित्सा पद्धति से जनता की सेवा कर रहे हैं सरकार को और (WHO) विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस बात की पूरी जानकारी भी है, तभी तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के एजेण्डे पर कार्य करते हुये भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को नियमितकरण करने का पूरा मन बना लिया है। यह तो बात है केन्द्र की प्रदेश में भी अब माननीय विधायकों ने अपना रुझान

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की ओर किया हुआ है प्रदेश के अनेक माननीय विधायक चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के उनके मन मस्तिष्क में भी अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है, उन्हें भी यह लगने लगा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी व इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों से साथ अन्याय हो रहा है, इतनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति जो प्रकृतिक गुणों से सम्पन्न है उसे हर हाल में न्याय मिलना चाहिये और इस चिकित्सा पद्धति का सरकारीकरण अवश्य होना चाहिये, प्रदेश सरकार के मंत्री से लेकर सहयोगी दलों के माननीय विधायकों व विपक्ष के अनेक विधायकों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखायी है और प्रदेश के मुखिया को अपनी ओर से अलग से पत्र लिखकर अपनी जिज्ञासा बतायी है।

प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री जिनके पास चिकित्सा व चिकित्सा शिक्षा विभाग भी है उन्होंने ने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सरकारी संरक्षण व सरकारी बोर्ड के गठन में अपना पूरा सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है।

विनोद सरोज

विधायक : बाबागंज, प्रतापगढ़
प्रदेश अध्यक्ष : जनसत्ता दल लोकतांत्रिक।



पत्रांक-

मा0 मुख्यमंत्री जी
उ0प्र0, सरकार।

अवगत कराना है कि संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर प्रदेश में लगभग 100 वर्ष से अधिक समय से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से प्रैक्टिस की जा रही है, जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सा स्वरोजगार कर अपना जीविकापार्जन भी कर रहे हैं। सरकार द्वारा समय-समय पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के विकास एवं विस्तार हेतु सहयोग प्राप्त हो रहा है, इस सम्बन्ध में प्रदेश शासन ने अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या 1595 B/W & 103/1948 दिनांक 27 मार्च 1953 भी जारी किया है।

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सहित अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की प्रभावकारिता की जांच हेतु दिनांक 26 फरवरी 2017 को एक आदेश जारी किया है।

आपको यह भी अवगत कराना है कि राजस्थान सरकार ने भी सन् 2018 में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मान्यता हेतु एक विधेयक पारित किया है इस विधेयक के प्राविधानानुसार 30 अप्रैल 2025 को अधिसूचना जारी का बोर्ड का गठन भी कर दिया है, जो दिनांक 01 मई 2025 से प्रभावी भी हो गया है। राजस्थान सरकार की इस कार्यवाही का देश के अनेक राज्यों ने स्वागत किया तथा उनके लिए अग्रिम कार्यवाही हेतु मार्ग प्रशस्त भी हुआ है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को राज्य सरकार द्वारा मिल रहे सहयोग व समर्थन तथा राजस्थान सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को शासकीय संरक्षण प्रदान करने का कष्ट करें यदि उचित समझे मो बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को स्वायत्तशाही शासकीय दर्जा प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

विनोद सरोज
विधायक
245-बाबागंज प्रतापगढ़ उ०प्र०

दिनांक 16.06.2025

निवास :

ग्राम-रैय्यापुर, पो0- मदी
कुण्डा-प्रतापगढ़
मो0-9415607364

विजय दिवस धूम-धाम से सम्पन्न – प्रथम पेज से आगे

रायबरेली- इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एसोसिएशन ऑफ इण्डिया का विजय दिवस छजलापुर में धूमधाम से मनाया

गया उक्त अवसर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के संयुक्त सचिव श्री मिथलेश कुमार मिश्रा ने कहा

कि भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 नवम्बर, 2003 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए आदेश

किया था, जिसमें कहा गया कि पूर्वकालिक स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर की डिग्री संचालित नहीं कि जा सकती तथा इस पद्धति से प्रैक्टिस करने वाले डा0 शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं इस आदेश से देश में एक भ्रम पैदा हुआ लेकिन भारत सरकार ने 5 मई, 2010 को स्पष्टीकरण दिया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कोई प्रतिबन्ध नहीं है, लेकिन 21 जून, 2011 को भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कि आदेश पारित कर सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया कि 25 नवम्बर, 2003 व 5 मई, 2010 का अनुपालन करते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सम्बन्ध

विकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान पर अपनी मोहर लगा दी है जिसे हम विजय दिवस के रूप में मनाते है, उक्त अवसर पर रायबरेली शाखा के प्राचार्य पी0 एन0 कुशवाहा, डा0 रमेश कुमार द्विवेदी, कार्यक्रम की अध्यक्षता माकपा के जिला सचिव रामदीन विश्वकर्मा, त्रिलोक सिंह जी ने कार्यक्रम का संचालन किया जिसमें राजेन्द्र सिंह, सुनील कुमार मौर्य, लालताराम, रमेश कुमार तिवारी, कालीशंकर शर्मा आदि उपस्थित रहे, इस अवसर पर अनेक छात्रों/छात्राओं को परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले को प्रमाण-पत्र प्रदान भी किये गये एवं इन्सीट्यूट के कई स्टाफ को सम्मानित किया गया।

शेष अंतिम पेज पर



विजय दिवस के अवसर पर आशीष इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट रायबरेली में इहमाई के संयुक्त सचिव श्री मिथलेश कुमार मिश्रा विजय दिवस कार्यक्रम से पूर्व डा0 काउण्ट सीजर मैटी को माल्यार्पण करते हुये इनके ठीक पीछे डा0 रमेश कुमार दुबे, आशीष इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट रायबरेली का स्टाफ, प्रबन्धक व प्राचार्य डा0 प्रताप नारायण कुशवाहा व छात्रगण



विजय दिवस के अवसर पर आशीष इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट रायबरेली में इहमाई के संयुक्त सचिव श्री मिथलेश कुमार मिश्रा को विजय दिवस कार्यक्रम के अवसर पर माला पहना कर सम्मानित करते हुये डा0 रमेश कुमार दुबे, इन्सटीट्यूट के प्राचार्य डा0 प्रताप नारायण कुशवाहा



विजय दिवस के अवसर पर आशीष इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट रायबरेली में इहमाई के संयुक्त सचिव श्री मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा विजय दिवस कार्यक्रम के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित उत्साहवर्धन किया

उ0प्र0 में सरकारी बोर्ड गठन हेतु इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संस्था प्रमुख भी कूदे B.E.H.M.U.P. के चेयरमैन के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री डा0 संजय निषाद को दिया गया ज्ञापन



डा0 नरेन्द्र भूषण निगम माननीय कैबिनेट मंत्री डा0 संजय निषाद को शॉल उढ़ा कर स्वागत करते हुये।



मंत्र पर ही माननीय कैबिनेट मंत्री डा0 संजय निषाद जी ने डा0 एच0 एच0 इंदरीसी को देखते ही तले लगा लिया

कानपुर-27 जून, आज कल उत्तर प्रदेश में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास हेतु सरकारी बोर्ड के गठन हेतु माँग बहुत तेजी से चल रही है, बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने तो प्रदेश के उप मुख्य मंत्री से लेकर अनेक मंत्रियों, सांसदों एवं विधायकों का सम्मान करते हुये उर्ध्व इस आशय का ज्ञापन सौंपा है कि देश के अनेक प्रांतों में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के समुचित विकास व प्रसार हेतु सरकारी बोर्ड का गठन किया जा रहा है, जबकि उ0 प्र0 में तो वर्ष 2012 में ही बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 के लिये एक शासनादेश प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है, अब आवश्यकता है कि प्रदेश सरकार इसे सरकारी विन्योग में लेकर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का समुचित विकास करे जिससे इस सस्ती, सरल, सुलभ चिकित्सा पद्धति से प्रदेश की जनता पूरा लाभ ले सके।

इसी क्रम में कई संस्था प्रमुखों ने बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 मोहम्मद हाशिम इंदरीसी की उपस्थिति में एक प्रतिनिधि मण्डल उ0प्र0 के कैबिनेट मंत्री माननीय डा0 संजय निषाद जी से मिल कर एक ज्ञापन दिया विदित हो कि संजय निषाद बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 मोहम्मद हाशिम इंदरीसी को भली भौति जानते हैं, माननीय मंत्री जी ने उतकाल माननीय उप मुख्य मंत्री एवं आयुष मंत्री डा0 दया शंकर मिश्रा "दयालू" को फोनकर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के विकास हेतु बात की, इस प्रतिनिधि मण्डल में प्रदेश के जाने माने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डा0 विनोद कुमार (जिन्हें लोग वी0 कुमार के नाम से भी जानते हैं), डा0 अशोक कुमार शुक्ला, डा0 नरेन्द्र भूषण निगम, डा0 गौरव द्विवेदी, डा0 मिथलेश कुमार मिश्रा, डा0 अनुज शुक्ला, डा0 संजीव मरदाज, डा0 वी0 पी0 मिश्रा आदि थे।



डा0 नरेन्द्र भूषण निगम माननीय कैबिनेट मंत्री डा0 संजय निषाद को पटका पहना कर स्वागत करते हुये।



डा0 संजय निषाद डा0एच0 एच0 इंदरीसी से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति पर चर्चा करते हुये डा0एच0 एच0 इंदरीसी के बगल में डा0 वी0 कुमार, डा0 नरेन्द्र भूषण निगम, डा0 गौरव द्विवेदी आदि



बायें से दायें डा0 संजय निषाद डा0 अशोक कुमार शुक्ला, डा0एच0 एच0 इंदरीसी, डा0 वी0 कुमार, डा0 नरेन्द्र भूषण निगम, डा0 गौरव द्विवेदी एवं अन्य

